दिनाक 03.01.2021
प्रेस विज्ञप्ति–03/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना खुदागंज

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रु0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित व 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 02.01.2021 की रात्रि को थाना खुदागंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चिरचिरा पुलिया के पास से पुलिस कार्यवाही के दौरान पुरस्कार घोषित अपराधी सर्वेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुआ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर पर हत्या का प्रयास, गोवध अधिनियम, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना खुदागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0–100/2020 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना खुदागंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सर्वेश निवासी जिगनिया थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी–

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

जनपद गोण्डा/थाना वजीरगंज

- **पुलिस कार्यवाही में, 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी के सोने व चाँदी के आभूषण**
- **01 अवैध बन्दूक 315 बोर, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 11 जीवित, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **01 मोटरसाइकिल आदि बरामद**

दिनांक 2/3.01.2021 की रात्रि थाना वजीरगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दुर्जनपुर घाट रोड़ से मोटरसाइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त पवन उर्फ गुड्डू घायल हो गया, जिसे अन्य अभियुक्त 2— राजेश, 3— धर्मपाल के साथ गिरफ्तार किया गया। घायल को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर चोरी के सोने व चाँदी के आभूषण 01 अवैध बन्दूक 315 बोर, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 11 जीवित, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर व 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं। जिनमें अभियुक्त पवन के विरूद्ध जनपद गोण्डा के विभिन्न थानो में चोरी, लूट, डकैती, धोखाधड़ी, आमनत में खयानत, हत्या का प्रयास, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 27 अभियोग, अभियुक्त राजेश के विरूद्ध हत्या का प्रयास, चोरी, गौवध अधिनियम, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग, व अभियुक्त धर्मपाल के विरूद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से बरामद सोने व चाँदी के आभूषण थाना तरबगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 240/2020 धारा 382 भादवि व मु0अ0सं0 429/2020 धारा 456/307/379 भादवि से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना वजीरगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1— पवन उर्फ गुड्डू निवासी कदियापुर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

2— राजेश निवासी विसुनपुर कला थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

3— धर्मपाल निवासी विसुनपुर कला थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी</u>

1— 01 अवैध बन्दुक 315 बोर व 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 11 जीवित, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

2— 01 मोटरसाइकिल।

3— चोरी के सोने व चाँदी के आभूषण आदि।

<u>जनपद आजमगढ़/थाना रौनापार</u>

- **पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी के 22 हजार 210 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 03.01.2021 को थाना रौनापार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भैसाड़ से बाजार गोसाई मुख्य मार्ग से पुलिस कार्यवाही के दौरान अभियुक्त रामनयन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 22 हजार 210 रूपये नगद व 01 अवैध तमंचा 315 बोर 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। जिसके विरूद्ध थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ में चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये थाना रौनापार क्षेत्रान्तर्गत हुई चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रौनापार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1— रामनयन निवासी भैसाड़ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1— चोरी के 22 हजार 210 रूपये नगद।

2— 01 अवैध तमंचा 315 बोर 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–3

- **02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी का 01 लैपटाप व 3400 रूपये नगद**
- **चोरी का 06 मोबाइल फोन**
- **01 मोटरसाइकिल मय फर्जी नम्बर प्लेट आदि बरामद**

दिनांक 03.01.2021 को थाना फेस–3 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सहारा कट सेक्टर–64 के पास 02 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से चोरी के 01 लैपटाप व 3400 रूपये नगद, चोरी के 06 मोबाइल फोन, 01 मोटरसाइकिल मय फर्जी नम्बर प्लेट आदि बरामद हुआ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व दिल्ली के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तो से बरामद लैपटाप, रूपये, मोबाइल फोन आदि थाना फेस–3 क्षेत्र में हुई कई चोरी की घटनाओ से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–3 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– सुमित कुमार निवासी संजय कालोनी गोकुलपुरी दिल्ली थाना गोकुलपुरी दिल्ली।

2– गौरव निवासी संजय कालोनी गोकुलपुरी दिल्ली थाना गोकुलपुरी दिल्ली।

बरामदगी

1– चोरी का 01 लैपटाप।
2– 3400 रूपये।
3– 06 मोबाइल फोन।
4– 01 मोटरसाइकिल मय फर्जी नम्बर प्लेट आदि

जनपद सीतापुर (गैंगेस्टर एक्ट में 03 अपराधियों की लगभग 75 करोड़ रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अभियुक्त 1. मुजीब, 2. हसीन उर्फ एकलाख, 3. अहमद हुसैन उर्फ छन्नू निवासीगण मोहल्ला बट्सगंज थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 75 करोड़ रू0 को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–24 (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड)

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश पॉक्सो–2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा थाना सेक्टर–24 पर पंजीकृत मु0अ0सं0 962/2016 अन्तर्गत धारा 376/354ए भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त सोहन लाल को 14 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

–––––––